भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2260

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

बेरोजगारी दर

2260. श्री जिया उर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने युवा बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कोई बड़े कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकाधिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

कुछ नीतिगत उपायों में शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 भी शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए **5** योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****